

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर


:: प्रारूप — 6 ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री औंकारमल, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि टीडियासर, चूरु जन्म तिथि 04.09.1960 ने दिनांक 26.04.2018 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है।

श्री औंकारमल, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि टीडियासर, चूरु पन्द्रह वर्ष की अर्हकारी सेवाएँ पूर्ण करने संबंधी शर्त पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50 (1) के प्रावधानान्तर्गत इनकी दिनांक 01.08.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्मिकों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी/स्वै0से.नि./2018-19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

दिनांक-

25/05/2018

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधी विभाग।
3. संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा चूरु
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) चूरु
6. प्रधानाचार्य राउमावि टीडियासर, चूरु
7. श्री औंकारमल, व्याख्याता, स्कूल शिक्षा, अंग्रेजी, राउमावि टीडियासर, चूरु
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर